.....किस्म..... .....उनवान.....

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

9/24 पत्रावली पेश हुई। शाकल व शाकल वकील का बहस। प्रकरण में बार-बार शाकल व शाकल वकील की आमद फिलवाकी गयी। आमद फिलवाकी के बावजूद शाकल व शाकल वकील उपस्थित नहीं आये। अतः स्पष्ट है कि शाकल व शाकल वकील प्रकरण आगे चलाने में अरुचि रखते हैं। अतः मु० नं० 274/21 T.I श्रीपाल बनाम किशनलाल आदम चोपड़ी व अन्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कायम।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested